न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
208/2023	05.06.2023	30.01.2024

उनवान

1. श्रीमती कमला देवी कुम्हार पत्नि श्री श्यामलाल कुम्हार, जाति कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी—72, मंदिर के सामने, मंडपिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

—प्रार्थीया

बनाम

1. रोड़ु कुम्हार पुत्र श्री लादू जी कुम्हार, जाति कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी—मंडपिया तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
2. देबी कुम्हार पुत्र श्री गोपी जी कुम्हार, जाति कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी—मंडपिया तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
3. मदन कुम्हार पुत्र श्री एकलिंग जी कुम्हार, जाति कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी—मंडपिया तहसील व जिला भीलवाडा (राज)
4. बंशी लाल कुम्हार पुत्र श्री उदय लाल जी कुम्हार, जाति कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी—मंडपिया तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाडा (राज०)

—विपक्षीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी प्रकाश देवाणी
अधिवक्ता अशोक शर्मा अप्रार्थी संख्या 02
अप्रार्थी संख्या 01 ~~—~~ से 04 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :—

—: निर्णय :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मण्डपिया प0ह0 मण्डपिया भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071—2074 के खाता संख्या 151 की अभिलिखित आराजियात 682/2 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0632 हैक्टेयर, खाता संख्या 152 में आराजी संख्या 685 रकबा 0.0759 हैक्टयर किस्म बंजड़ एवं खाता संख्या 511 में आराजी संख्या 686/1 रकबा 0.0632 हैक्टयर भूमि प्रार्थीया की खातेदारी एवं क़ब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीया खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीया वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

Ahlad
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 का जवाब पेश नहीं होने से जवाब बंद किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 01 03 व 04 के समन बाद तामिल प्राप्त होने पर भी नियत पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 03 व 04 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा मण्डपिया प0ह0 मण्डपिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 151 की अभिलिखित आराजियात 682/2 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0632 हैक्टेयर, खाता संख्या 152 में आराजी संख्या 685 रकबा 0.0759 हैक्टयर किस्म बंजड़ एवं खाता संख्या 511 में आराजी संख्या 686/1 रकबा 0.0632 हैक्टयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ahad

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाडा